रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 482 / 2021

....

राजू ठाकुर **..... याचिकाकर्ता**

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. मनोरमा देवी **... विपक्षी पार्टियां**

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय प्रसाद

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री श्रवण कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्रीमती अमृता कुमारी, ए.पी.पी.

ओ.पी. नं. 2 के लिए : कोई नहीं.

.....

निर्णय

C.A.V 03/01/2024 घोषित दिनाक 26/04/2024

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 482/2021 याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक अपील संख्या 178/2019 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-II, जमशेदपुर द्वारा पारित

दिनांक 26.03.2021 के निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-II, जमशेदपुर ने सुश्री दर्शना, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा सी/1 केस संख्या 760/2015 के संबंध में पारित दिनांक 18.06.2019 के दोषसिद्धि और सजा के फैसले को खारिज करते हुए विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 178/2019 को अनुमति दे दी है, हालांकि विपक्षी पक्ष नं. 2, मनोरमा देवी को सी/1 केस संख्या 760/2015 के संबंध में टीआई संख्या 198/2019 के संबंध में एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए सुश्री दर्शना, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 18.06.2019 द्वारा दोषी ठहराया गया था और उन्हें तीन (3) महीने की अवधि के लिए एस.आई की सजा सुनाई गई थी और आगे सी.आर.पी.सी की धारा 357 (3) के तहत शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में 2,50,000/- रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

2. संक्षेप में शिकायतकर्ता का मामला यह है कि शिकायतकर्ता और आरोपी तथा उसका पति एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे तथा आरोपी ने अपने पति के साथ मिलकर शिकायतकर्ता से उसकी बहू के इलाज के लिए 2,30,000/- रुपए का ऋण लिया था तथा एक वर्ष के भीतर उसे वापस करने का वादा भी किया था। यह भी आरोप है कि जब आरोपी ने निर्धारित समय के भीतर ऋण राशि वापस नहीं की, तो शिकायतकर्ता ने अपने पैसे की मांग शुरू कर दी तथा शिकायतकर्ता द्वारा कई बार अनुरोध किए जाने के बाद, आरोपी ने शिकायतकर्ता के पक्ष में 2,30,000/- रुपए का एक चेक नंबर 858433 दिनांक 25.1.2015 जारी किया था, इस आश्वासन के साथ कि इसे न्यायालय में प्रस्तुत करने पर भुना लिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने उक्त चेक को भुनाने के लिए अपने बैंक में प्रस्तुत किया, लेकिन आरोपी-विपक्षी संख्या 2 के खाते में "अपर्याप्त धनराशि" का कारण बताते हुए चेक को बिना भुगतान के वापस कर दिया गया, चेक वापसी ज्ञापन दिनांक 10.02.2015 के अनुसार। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने AD के साथ पंजीकृत डाक के माध्यम से विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को एक कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कानूनी नोटिस प्राप्त होने के बावजूद, आरोपी-विपक्षी संख्या 2 ने शिकायतकर्ता को चेक की राशि वापस नहीं की। इसलिए, शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी व्यक्ति के खिलाफ वर्तमान मामला दायर किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान एपीपी को सुना गया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 26.03.2021 का निर्णय अवैध है तथा कानून की दृष्टि से टिकने योग्य नहीं है। प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता ने अपनी पुत्रवधू के इलाज के लिए विपक्षी पक्ष संख्या 2 को 2,30,000/- रुपये का मैत्रीपूर्ण ऋण दिया था तथा उसने एक वर्ष की अवधि के भीतर इसे वापस करने का वादा किया था तथा अनुरोध करने पर, अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता के नाम पर 2,30,000/- रुपये का चेक संख्या 858433 दिनांक 25.01.2015 जारी किया था। हालांकि, जब उक्त चेक को भुनाने के लिए प्रस्तुत किया गया, तब यह मेमो दिनांक 10.02.2015 द्वारा वापस आ गया था तथा उसके बाद शिकायतकर्ता ने पंजीकृत डाक द्वारा कानूनी नोट भेजा था, लेकिन विपक्षी पक्ष संख्या 2 शिकायतकर्ता को चेक राशि वापस करने में विफल रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता ने इस मामले में स्वयं को सीडब्ल्यू-1 के रूप में जांचा था और उसने विपक्षी पक्ष संख्या 2 को 2,30,000/- रुपये का मैत्रीपूर्ण ऋण देने के लिए अपने मामले का पूरी तरह से समर्थन किया है और भले ही विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने अपनी कानूनी देयता के निर्वहन में याचिकाकर्ता के पक्ष में 25.01.2015 को 2,30,000/- रुपये का चेक जारी किया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि क्रमशः एक्सटेंशन-1, एक्सटेंशन-2, एक्सटेंशन-3 और एक्सटेंशन-4 और 4/1 के रूप में चिह्नित दस्तावेजों ने शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया, जो चेक, रिटर्न मेमो, कानूनी नोटिस दिनांक 18.02.2015, पोस्ट रसीद दिनांक 18.02.2025 आदि थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि डी.डब्ल्यू-1 मनोरमा देवी, डी.डब्ल्यू-2, इंदु देवी, डी.डब्ल्यू-3, प्रिया शर्मा और डी.डब्ल्यू-4, नूतन देवी के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि नीचे के विद्वान अपीलीय न्यायालय ने यह देखकर गंभीर अवैधता की है कि याचिकाकर्ता के पास विपरीत पक्ष संख्या 2 को 2,30,000/- रुपये का ऋण देने की कोई वित्तीय क्षमता नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता चेक का धारक है और एन.आई अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान उसके पक्ष में है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विपरीत पक्ष संख्या 2 पर उसके द्वारा लिए गए ऋण के लिए अपने ऋण का निर्वहन करने का कानूनी कर्तव्य है और इस प्रकार, नीचे के विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विपरीत पक्ष संख्या 2 को बरी करके

अवैधता की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट यानी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर ने विपरीत पक्ष संख्या 2 को एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए सही रूप से दोषी ठहराया है और तीन (3) महीने की अवधि के लिए एसआई से गुजरने की सजा सुनाई है इस प्रकार, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, जमशेदपुर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 178/2019 में दिनांक 26.03.2021 को पारित आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जा सकता है और विपरीत पक्ष संख्या 2 को तीन (3) महीने की अवधि के लिए एस.आई से गुजरने और याचिकाकर्ता को 2,50,000/- रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मुआवजा देने का निर्देश देकर आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति दी जा सकती है।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित और उचित है और इस न्यायालय से कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने एन.आई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए विपरीत पक्ष संख्या 2 को गलत तरीके से दोषी ठहराया है और तीन (3) महीने की अवधि के लिए एस.आई के कारावास की सजा सुनाई है और शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में 2,50,000/- रुपये (केवल दो लाख पचास हजार रुपये) का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता चतुर साहूकार है और उसने अपने पक्ष में खाली चेक जारी करने के लिए विरोधी पक्ष संख्या 2 सहित कई महिलाओं को फंसाया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि डी.डब्ल्यू-1 मनोरमा देवी, डी.डब्ल्यू-2, इंदु देवी, डी.डब्ल्यू-3, प्रिया शर्मा और डी.डब्ल्यू-4, नूतन देवी ने विपरीत पक्ष संख्या के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया है 2. यह प्रस्तुत किया गया है कि डी.डब्लू-1 मनोरमा देवी यानी विपक्षी पार्टी नंबर 2 आरोपी थी, जिसने कहा था कि उसने 20,000/-/30,000/- रुपये का ऋण लिया था और चेक जारी किया था, लेकिन इसे शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा 2,30,000/- रुपये की चेक राशि में बदल दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ आपराधिक मामले भी लंबित हैं, जिन्हें पीड़ित महिलाओं ने भी उसके खिलाफ दायर किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने सही ढंग से देखा है कि याचिकाकर्ता के पास 2,30,000/- रुपये की सीमा तक पारिवारिक ऋण देने की कोई भुगतान क्षमता नहीं है। इस प्रकार,

विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई है और इसलिए, यह आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन योग्यता से रहित है और इस तरह, इस आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

6. निचली अदालत के अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया गया।

7. विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, यद्यपि उसे नोटिस जारी किया गया था।

8. यह पता चला है कि शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा 07.04.2015 को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर की अदालत में विपरीत पक्षकार संख्या 2 के खिलाफ एन.आई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए संज्ञान लेने के लिए शिकायत मामला सी/1 केस संख्या 760/2015 दायर किया गया था कि विपरीत पक्षकार संख्या 2 अपने पति के साथ दिसंबर 2013 के दूसरे सप्ताह में शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता के पास पहुंची थी और अपनी बहू श्रीमती कंचन सिंह के इलाज के लिए 2,30,000/- रुपये के मैत्रीपूर्ण ऋण के लिए अनुरोध किया था और शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता ने 15.12.2013 को विपरीत पक्षकार संख्या 2 को 2,30,000/- रुपये की नकद राशि का भुगतान किया था। यह भी कहा गया है कि उक्त राशि लंबी अवधि तक वापस नहीं की गई और अनुरोध करने पर 2 ने याचिकाकर्ता के नाम पर 2,30,000/- रुपये की राशि के लिए दिनांक 25.01.2015 को एक चेक संख्या 858433 जारी किया था , जो 09.02.2015 को बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उक्त चेक का अनादर किया गया और इसे मेमो दिनांक 10.02.2015 द्वारा वापस कर दिया गया। यह स्पष्ट है कि विद्वान निचली अदालत ने 16.05.2015 को एन.आई अधिनियम की धारा 138 के तहत विपक्षी पक्ष संख्या 2 के खिलाफ संज्ञान लिया है। यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण के उदाहरणों को विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा 05.10.2016 को एन.आई अधिनियम की धारा 138 के तहत समझाया गया था और जिस पर उसने दोषी नहीं होने की दलील दी और मुकदमा चलाने की मांग की।

9. यह पता चला है कि शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता राजू ठाकुर ने अपना मामला साबित करने के लिए स्वयं सी.डब्लू.-1 के रूप में जांच कराई थी।

10. यह पता चला है कि शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शन के लिए चिह्नित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: -

    (i) प्रदर्श-1 चेक संख्या 858433 दिनांक 25.01.2015 है तथा इसका मूल्य 2,30,000/- रूपये है।

    (ii) प्रदर्श-2 दिनांक 10.02.2015 का चेक रिटर्न मेमो है।

    (iii) प्रदर्श-3 दिनांक 18.02.2015 का कानूनी नोटिस है,

    (iv) प्रदर्श-4 एवं 4/1 दिनांक 18.02.2015 की डाक रसीद है तथा मनोरमा देवी के हस्ताक्षर युक्त ए.डी. दिनांक 21.02.2015 दर्शा रही है।

11. यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 2 का बयान 13.12.2017 को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विद्वान न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें विपक्षी संख्या 2 ने अपने विरूद्ध प्रस्तुत परिस्थितियों से इन्कार किया था।

12. यह पता चला कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने अपने मामले के समर्थन में चार गवाहों की जांच कराई, जो इस प्रकार हैं:-

    (i) डी.डब्लू-1 मनोरमा देवी,

    (ii) डी.डब्लू-2, इंदु देवी,

    (iii) डी.डब्ल्यू-3, प्रिया शर्मा और

    (iv) डी.डब्ल्यू-4, नूतन देवी

13. तथापि, विपक्षी पक्षकार संख्या 2 की ओर से बचाव के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रदर्श के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है।

14. तत्पश्चात सुश्री दर्शना, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर ने दिनांक 18.06.2019 के दोषसिद्धि और सजा के आदेश के तहत विपरीत पक्ष संख्या 2, मनोरमा देवी को सी/1 केस संख्या 760/2015 के संबंध में टी. आर. संख्या 198/2019 की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था और उन्हें तीन (3) महीने की अवधि के लिए एसआई की सजा सुनाई थी और आगे सीआरपीसी की धारा 357(3) के तहत शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में 2,50,000/- रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का भुगतान करने का निर्देश दिया था। तत्पश्चात, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विपरीत पक्ष संख्या की ओर से दायर आपराधिक अपील संख्या 178/2019 को अनुमति दे दी 2, सुश्री दर्शना, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 18.06.2019 के दोषसिद्धि और सजा के फैसले को खारिज करते हुए, इसलिए, शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा यह आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया है।

15. सी.डब्लू-1 अर्थात शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता के गंभीर प्रतिज्ञान को सुरक्षित करने से, जो अंग्रेजी में हलफनामे पर दायर किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने शिकायत में बताए गए मामले के बारे में बताते हुए अंग्रेजी में गंभीर प्रतिज्ञान भी दायर किया है, हालांकि, अदालत ने उनसे सवाल पूछे थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि विद्वान निचली अदालत ने सीआर. पी अधिनियम की धारा 200 के प्रावधानों के तहत अदालत में उनकी जांच करने के बजाय हलफनामे पर याचिकाकर्ता की गंभीर प्रतिज्ञान लेकर गंभीर अवैधता की है और श्री अरविंद कच्छप, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की कार्रवाई कानून के विपरीत है क्योंकि अदालत के लिए शिकायतकर्ता की शपथ पर जांच करना अनिवार्य है और ऐसी परीक्षा के सार को सीआर पीसी की धारा 200 के प्रावधानों के प्रकाश में लिखित रूप में कम किया जाना चाहिए।

16. सी.डब्लू.-1 राजू ठाकुर अर्थात स्वयं याचिकाकर्ता के साक्ष्य से यह पता चलता है कि उसने यह कहते हुए अपने मामले को समर्थन देने का प्रयास किया है कि उसने विपक्षी संख्या 2 को उसकी पुत्रवधू श्रीमती कंचन सिंह के उपचार के लिए मित्रवत ऋण के रूप में 15.12.2013 को 2,30,000/- रूपये नकद दिये थे तथा धनराशि के भुगतान पर विपक्षी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता के नाम 2,30,000/- रूपये की धनराशि का चेक संख्या

858433 दिनांक 25.01.2015 जारी किया था, जो 09.02.2015 को अनादरित हो गया तथा चेक रिटर्न मेमो दिनांक 10.02.2015 द्वारा वापस कर दिया गया तथा उसके बाद उसने 18.02.2015 को एक्सटें-3 द्वारा कानूनी नोटिस भेजा तथा पंजीकृत डाक से भेजा तथा पावती क्रमशः प्रदर्श-4 एवं 4/1 के रूप में अंकित की गई थी।

17. हालांकि, जिरह के दौरान उन्होंने माना कि मनोरमा देवी यानी विपरीत पक्ष संख्या 2 और प्रिया शर्मा तथा नूतन देवी पर केस चलाने के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने जिरह के दौरान यह भी माना कि नूतन देवी ने उनके खिलाफ जी.आर केस संख्या 1927/2017 भी चलाया था, जो श्री अरविंद कच्छप, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी की अदालत में लंबित है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने नूतन देवी पर परसुडीह थाने में भी केस चलाया था, क्योंकि उन्होंने नूतन देवी से 85,000/- रुपये का चेक लिया था, जिसे उन्होंने वापस नहीं किया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनके पास तीन सैलून हैं और वे जमीन की खरीद-फरोख्त का काम करते हैं और वे जमीन खरीद का कारोबार करते हैं और उन्होंने इस बात से अनभिज्ञता जताई है कि नूतन देवी द्वारा दर्ज जीआर केस संख्या 1927/2017 में मनोरमा देवी और पूजा शर्मा गवाह हैं, लेकिन उन्हें उस मामले में जमानत मिल चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि मनोरमा देवी ने उनकी उपस्थिति में केवल हस्ताक्षर किए थे, लेकिन चेक उनके द्वारा भरा गया था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि पूजा शर्मा ने उन्हें 3,80,000/- रुपये का चेक जारी किया था और उन्होंने उन्हें 7,00,000/- रुपये का फ्रेंडली लोन दिया था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उनकी दैनिक आय 1500/- से 2000/- रुपये है और उनका मासिक खर्च लगभग 18,000/- रुपये प्रति माह है। हालांकि, उन्होंने लोगों से खाली चेक लेने और ब्याज पर उधार देने में पैसा लगाने से इनकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि वे 07.04.2015 को हलफनामा दाखिल करने तथा क्लर्क की उपस्थिति में हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए न्यायालय में उपस्थित हुए थे।

18. इस प्रकार, सी.डब्लू-1 राजू ठाकुर, अर्थात याचिकाकर्ता के साक्ष्य को सुरक्षित करते हुए, यह स्पष्ट है कि वह धन उधार देने और लोगों से खाली चेक लेने के व्यवसाय में शामिल है और उसने विपक्षी संख्या 2 मनोरमा देवी से खाली चेक प्राप्त किए थे, लेकिन उसके पास प्रिया शर्मा, नूतन देवी भी हैं। अपने स्वयं के मामले के अनुसार, उसने विपक्षी

संख्या 2 मनोरमा देवी को 2,30,000/- रुपये का दोस्ताना ऋण और प्रिया शर्मा को 3,80,000/- रुपये का दोस्ताना ऋण दिया है और नूतन देवी से भी चेक प्राप्त किया है, जो उसके घर में रखा हुआ है। इस प्रकार सी.डब्लू-1 राजू ठाकुर साहूकार प्रतीत होता है और उसने विपक्षी संख्या 2 सहित कई महिलाओं से खाली चेक प्राप्त किए हैं।

19. जहां तक बचाव पक्ष के साक्ष्य का सवाल है, डी.डब्लू-1, मनोरमा देवी इस मामले में स्वयं विपक्षी पक्षकार संख्या 2 हैं, और उन्होंने अपने साक्ष्य के दौरान कहा है कि याचिकाकर्ता कई महिलाओं को ब्याज पर पैसा देता था, जैसे नूतन देवी, प्रिया शर्मा, सविता देवी, वनमलाई टुडू और विपक्षी पक्षकार संख्या 2 सहित कई अन्य महिलाएं और वह उनसे हस्ताक्षर युक्त खाली चेक लेता था, इस आश्वासन पर कि जब भी वे पैसे का भुगतान करेंगी, तो वह चेक वापस कर देगा। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने शिकायतकर्ता से केवल 20,000/- रुपये लिए थे और जिसके बदले में शिकायतकर्ता ने उनके हस्ताक्षर युक्त खाली चेक प्राप्त किया था और शिकायतकर्ता द्वारा उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करके चेक का दुरुपयोग किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता को ब्याज सहित उक्त 20,000/- रुपये वापस कर दिए हैं और शिकायतकर्ता ने उन्हें उक्त चेक वापस करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्हें यह वापस नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता ने नूतन देवी, प्रिया शर्मा, सविता देवी और वनमाली टुडू तथा अन्य महिलाओं के खिलाफ एन..आई अधिनियम के प्रावधानों के तहत कई मामले दर्ज किए हैं।

जिरह के दौरान उसने कहा कि उसके पति टेल्को कर्मचारी हैं और वह गृहिणी है। हालांकि, उसने शिकायतकर्ता राजू ठाकुर से 20,000 रुपये का ऋण लेने की बात स्वीकार की है और इसके बदले में उसने अपने हस्ताक्षर के साथ चेक सौंपा था और उसने पावती कार्ड यानी एक्सटेंशन-4 और 4/1 पर अपने हस्ताक्षर से इनकार किया है। उसने यह भी कहा कि उसे नोटिस नहीं दिया गया। उसने यह भी कहा कि उसने याचिकाकर्ता को 30,000 रुपये वापस कर दिए हैं, लेकिन उसके पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। उसने आगे कहा कि नूतन देवी ने राजू ठाकुर के खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दर्ज कराया है जिसमें वह गवाह है। उसने आगे कहा कि उसने खाली चेक सौंपा है, लेकिन

दावा किया कि शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ 2,30,000 रुपये लेने का झूठा मामला दर्ज कराया है, जबकि उसने केवल 20,000 रुपये ऋण के रूप में लिए हैं।

20. इस प्रकार, डीडब्लू-1, मनोरमा देवी के साक्ष्य की जांच से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता साहूकारी के धंधे में संलिप्त है और ब्याज पर पैसा देता था और इसके एवज में वह महिलाओं से खाली चेक लेता था और विपक्षी संख्या 2 ने कुछ महिलाओं नूतन देवी, प्रिया शर्मा, सविता देवी और वनमाली टुडू तथा अन्य महिलाओं के नाम लिए थे।

21. डीडब्लू-2 इंदु देवी है और उसने कहा कि शिकायतकर्ता उसके मुहल्ले की कई महिलाओं को ब्याज पर पैसा देता था और उसके बदले में उसके हस्ताक्षर वाले खाली चेक प्राप्त करता था, इस आश्वासन के साथ कि पैसा वापस करने पर वह उक्त चेक वापस कर देगा। उसने आगे कहा कि विपक्षी संख्या 2 ने शिकायतकर्ता से 20,000/- रुपये का दोस्ताना ऋण लिया था और उसके बदले में, शिकायतकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 के हस्ताक्षर के साथ एक खाली चेक प्राप्त किया था, जिसका उसने यह मामला दायर करके दुरुपयोग किया था। उसने आगे कहा कि विपक्षी संख्या 2 ने उक्त 20,000/- रुपये ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को वापस कर दिए थे, लेकिन उसका चेक इस आधार पर वापस नहीं किया गया कि वह उसके घर में गुम हो गया है। उसने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने अपने मुहल्ले की महिलाओं पर विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से कई मामले स्थापित किए थे और विपक्षी संख्या 2 ने पहले ही विपक्षी संख्या 2 को राशि वापस कर दी थी।

जिरह के दौरान उसने कहा कि पैसों का लेन-देन उसकी मौजूदगी में हुआ और वे शिकायतकर्ता को चेक देते थे और पैसों के लेन-देन के लिए एक कार्ड भी बनाया गया था और उसमें साप्ताहिक 1,500 रुपये जमा किए जाते थे और 20,000 रुपये के बदले 30,000 रुपये लिए जाते थे। उसने आगे कहा कि कार्ड राजू जी यानी शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता के पास रहता था और वे बस उसे पैसे सौंप देते थे। पैसे वापस करने के बाद भी चेक उसे यह आश्वासन देकर नहीं लौटाया गया कि 4-5 दिनों के भीतर चेक वापस कर दिया जाएगा। उसने आगे कहा कि नोटिस मिलने के बाद वे शिकायतकर्ता के पास गए और रकम वापस करने के बाद भी उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पूछताछ की। उसने आगे स्वीकार किया कि नूतन देवी ने शिकायतकर्ता- राजू ठाकुर पर मामला दर्ज कराया था और वह उस मामले में गवाह है।

22. इस प्रकार, डी.डब्लू..-2, इन्दु देवी के साक्ष्य की जांच से यह स्पष्ट है कि उसने डी.डब्लू..-1, मनोरमा देवी के मामले का पूर्ण समर्थन किया है तथा कहा है कि याचिकाकर्ता उसके मुहल्ले की महिलाओं से 20,000/- रुपये तक के छोटे ऋण के बदले खाली चेक लेता था तथा इसके लिए वह 1,500/- रुपये प्रति सप्ताह की दर से ब्याज लेता था और यहां तक कि उसके द्वारा एक कार्ड भी तैयार किया गया था। इस प्रकार, डी.डब्लू.-2, इन्दु देवी ने डी.डब्लू.-1, मनोरमा देवी के मामले का पूर्ण समर्थन किया है।

23. डी.डब्लू-3 प्रिया शर्मा हैं और उन्होंने भी वही तथ्य बताए हैं जो डी.डब्लू-1 मनोरमा देवी और डी.डब्लू-2 इंदु देवी ने बताए हैं और इसलिए, उन्हें यहां दोहराया नहीं जा रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टी नंबर 2 मनोरमा देवी ने याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता से केवल 20,000/- रुपये लिए थे और जिसे उन्होंने ब्याज सहित वापस कर दिया था। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता ने उनके मुहल्ले की महिलाओं के खिलाफ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कई मामले दर्ज किए हैं।

जिरह के दौरान उसने आगे बताया कि उसकी मौजूदगी में ही 20,000/- रुपये का लेन-देन हुआ था और यहां तक कि विपक्षी पार्टी नंबर 2 मनोरमा देवी ने कुल बीस हफ्तों में हर हफ्ते 1,500/- रुपये लौटाए थे, हालांकि उसे इसकी कोई रसीद नहीं मिली। उसने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने क्रमशः नूतन देवी, मनोरमा देवी, प्रिया शर्मा और इंदु देवी को ऋण दिया था।

24. इस प्रकार, डी.डब्लू.-3, प्रिया शर्मा के साक्ष्य की जांच से यह स्पष्ट है कि उन्होंने डी.डब्लू.-1, मनोरमा देवी अर्थात विपक्षी पक्ष संख्या 2 के मामले का पूर्ण समर्थन किया है तथा डी.डब्लू.-2, इंदु देवी के साक्ष्य का भी समर्थन किया है कि याचिकाकर्ता एक साहूकार है तथा विपक्षी पक्ष ने शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता से 20,000/- रुपये का ऋण लिया तथा उसे 1,500/- रुपये प्रति सप्ताह की दर से कुल बीस सप्ताह में कुल 30,000/- रुपये शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता को भुगतान करके वापस कर दिया है।

25. डी.डब्लू.-4 नूतन देवी हैं और उन्होंने भी वही तथ्य बताए हैं जो डी.डब्लू.-1 मनोरमा देवी, डी.डब्लू.-2 इंदु देवी और डी.डब्लू.-3 प्रिया शर्मा ने बताए हैं, इसलिए उन्हें यहां दोहराया नहीं जा रहा है और उन्होंने भी ओ.पी. संख्या 2 के मामले का समर्थन किया है।

हालांकि, जिरह के दौरान उसने आगे कहा कि उसने शिकायतकर्ता के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है और वह याचिकाकर्ता और विपक्षी पार्टी नंबर 2 मनोरमा देवी के बीच पैसे के लेन-देन के समय मौजूद थी। उसने आगे कहा कि मनोरमा देवी ने याचिकाकर्ता को अपने हस्ताक्षर वाला खाली चेक सौंपा था। उसने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने बीस महिलाओं को पैसे दिए थे और उसने सभी महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की थी। उसने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रिया शर्मा, मनोरमा देवी यानी विपक्षी पार्टी नंबर 2, बिंदु झा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और उसने शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया था।

26. इस प्रकार,डी.डब्लू -4 नूतन देवी के साक्ष्य की जांच से यह स्पष्ट है कि उन्होंने डी.डब्लू.-1 मनोरमा देवी अर्थात विपक्षी पक्ष संख्या 2 के मामले का पूर्ण समर्थन किया है। यह भी स्पष्ट है कि उन्होंने क्रमशः डी.डब्लू.-1 मनोरमा देवी, डी.डब्लू-2 इन्दु देवी तथा डी.डब्लू-3 प्रिया शर्मा के साक्ष्य की भी पुष्टि की है।

27. यह भी पता चलता है कि यद्यपि विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने अपने हस्ताक्षर से खाली चेक शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता को सौंपा था, लेकिन उसने 20,000/- रुपये का ऋण लेने की बात भी निष्पक्ष रूप से कही और स्वीकार की है, जिसे विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को प्रति सप्ताह 1,500/- रुपये का भुगतान करके बीस सप्ताह में वापस कर दिया, जो कुल राशि 30,000/- रुपये थी। हालांकि, याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं था और उसका लालच और बढ़ गया।

28. सी.डब्लू-1 यानी शिकायतकर्ता के क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान दिए गए अपने साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि उसने नूतन देवी, प्रिया शर्मा, मनोरमा देवी, इंदु देवी और वनमाली टुडू को लोन दिया है। उसने मनोरमा देवी यानी विपक्षी पक्ष संख्या 2 और नूतन देवी यानी डीडब्लू-4 और प्रिया शर्मा यानी डी.डब्लू-3 पर केस दर्ज किया है और उसने बिंदु झा के खिलाफ भी केस दर्ज किया है।

29. यह स्पष्ट है कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 एक महिला है और उसे 20,000/- रुपये का ऋण लेते समय खाली चेक सौंपने के परिणामों की समझ नहीं रही होगी, लेकिन शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता का यह भी अपना कथन है कि उसने विपक्षी पक्ष संख्या 2 को 2,30,000/-

रुपये, प्रिया शर्मा को 3,80,000/- रुपये तथा अन्य महिलाओं को 7,00,000/- रुपये का ऋण दिया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की वित्तीय क्षमता को देखा जाना चाहिए।

30. याचिकाकर्ता ने कोई आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, जिसमें विपक्षी पक्ष संख्या 2 को 2,30,000/- रुपये की ऋण राशि या प्रिया शर्मा को 3,80,000/- रुपये की राशि और नूतन देवी और कुछ अन्य महिलाओं को भी ऋण अग्रिम दिखाए गए हों।

31. एन.आई अधिनियम की धारा 138 के तहत अनुमान प्रकृति में खंडनीय है और यहां तक कि अगर याचिकाकर्ता के नाम पर विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा खाली चेक दिया गया है, तो उक्त अनुमान को परिस्थितियों और परीक्षण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य से खंडन किया जा सकता है।

32. यह पता चला है कि डी.डब्लू.-1, मनोरमा देवी के साक्ष्य को डी.डब्लू.-2, इंदु देवी, डी.डब्लू.-3, प्रिया शर्मा और डी.डब्लू.-4, नूतन देवी ने मुकदमे के दौरान पूरी तरह से समर्थन दिया है और यहां तक कि डी.डब्लू.-2, इंदु देवी, डी.डब्लू.-3, प्रिया शर्मा और डी.डब्लू.-4, नूतन देवी को भी याचिकाकर्ता द्वारा उनके खिलाफ मामला दर्ज करके प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विपक्षी संख्या 2 ने 20,000/- रुपये के ऋण के लिए 30,000/- रुपये वापस कर दिए थे और याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 से एक खाली चेक प्राप्त किया था।

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कृष्ण जनार्दन भट्ट बनाम दत्तात्रेय जी. हेगड़े मामले में 2008 (1)** सुप्रीम 306 के पैरा 22, 23, 25, 26 और 29 में दिए गए निर्णय में निम्नानुसार माना गया है:-

> "पैरा-22:-. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निचली अदालतों ने इस आधार पर कार्यवाही की कि धारा 139 ऋण के अस्तित्व के संबंध में भी एक अनुमान लगाती है। हमारी राय में, निचली अदालतों ने इस आधार पर कार्यवाही करके एक गंभीर त्रुटि की है कि बचाव को साबित करने के लिए अभियुक्त को गवाह के कठघरे में आना आवश्यक है और जब तक वह ऐसा नहीं करता है, तब तक वह अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाएगा। हमें लगता है कि अदालतों की ओर से ऐसा दृष्टिकोण सही नहीं है।

पैरा-23:- किसी अभियुक्त को किसी कानून के तहत उस पर लगाए गए सबूत के भार को पूरा करने के लिए खुद की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। वह पहले से ही रिकॉर्ड पर लाए गए सामग्रियों के आधार पर अपना भार पूरा कर सकता है। अभियुक्त को चुप रहने का संवैधानिक अधिकार है। आपराधिक मामले में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के सबूत का मानक अलग-अलग होता है।

पैरा-25:- इसके अलावा, जबकि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को सभी उचित संदेह से परे साबित करना चाहिए, अभियुक्त की ओर से बचाव साबित करने के लिए सबूत का मानक संभावनाओं की अधिकता है। संभावनाओं की अधिकता का अनुमान न केवल पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्रियों से निकाला जा सकता है, बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ में भी लगाया जा सकता है जिन पर वह निर्भर करता है।

पैरा-26:- एक वैधानिक अनुमान का साक्ष्य मूल्य होता है। इसलिए, यह सवाल कि क्या अनुमान का खंडन किया गया या नहीं, रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए, अपीलकर्ता द्वारा गवाह के रूप में पेश होना अनिवार्य नहीं है। इस तरह के मामले में, जहां झूठे आरोप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, पृष्ठभूमि तथ्य और पक्षों के आचरण के साथ-साथ उनकी कानूनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

पैरा-29:- उनके और आर.जी भट के बीच विवाद और मतभेद प्रतिवादी के खुद के स्वीकारोक्ति से स्थापित हो गए। इसी तरह का उद्योग आर.जी भट द्वारा चलाया जा रहा था, हालांकि वह अपीलकर्ता के गठित वकील के रूप में काम कर रहे थे। अपीलकर्ता के अनुसार, आर.जी भट ने उन्हें धोखा दिया था। काउंटरफॉइल से पता चला कि उस बैंक से कभी भी एक बार में 20,000/- रुपये से अधिक नहीं निकाले गए थे। अदालतों को शिकायतकर्ताओं द्वारा केवल पूछने पर 1.5 लाख रुपये की राशि अग्रिम देने की संभावना के बारे में एक अनुमान लगाने की आवश्यकता थी और वह भी कोई दस्तावेजी सबूत रखे बिना। यहां

तक कि कोई गवाह भी नहीं था। यह कथित कहानी कि अपीलकर्ता पूरी तरह से जानते हुए भी कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, चेक द्वारा राशि वापस करने के लिए खुद आगे आएगा, विश्वास करना मुश्किल है।"

34. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान एक खंडनीय अनुमान है और संभावित बचाव को बढ़ाने का दायित्व अभियुक्त पर है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि आरोपी शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता के संबंध में भी संभावित बचाव प्रस्तुत कर सकता है।

35. बंबई उच्च न्यायालय द्वारा 2009 (0) Cr. LJ 3777 में दर्ज **संजय मिश्रा बनाम कनिष्क कपूर उर्फ निक्की** के मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 11, 12, 13 और 15 में निम्नानुसार माना गया है:-

"पैरा-11:- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी दोहराया कि उक्त अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान को खारिज करने के लिए, हर मामले में अभियुक्त का गवाह के रूप में पेश होना आवश्यक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आपराधिक मामले में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की ओर से सबूत के मानक अलग-अलग होते हैं। अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करना होता है, लेकिन बचाव को साबित करने के लिए सबूत का मानक "संभावना की प्रबलता" है। परिस्थितियों के संदर्भ में भी संभावनाओं की प्रबलता का अनुमान लगाया जा सकता है। पैराग्राफ 44 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"निर्दोषता की धारणा एक मानव अधिकार है (देखें नरेंद्र **सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, रंजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य और राजेश रंजन यादव बनाम सीबीआई।)** अधिकार यूरोपीय मानव अधिकार सम्मेलन के अनुच्छेद 6(2) में प्रावधान है: "किसी आपराधिक अपराध के लिए आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह कानून के अनुसार दोषी साबित न हो जाए।" हालाँकि भारत उपर्युक्त सम्मेलन से बंधा हुआ नहीं है और इस तरह यूरोपीय देशों की तरह सम्मेलन के साथ आम कानून

लाने के लिए यह आवश्यक नहीं हो सकता है, अभियुक्त के अधिकारों और समाज के हित के बीच संतुलन को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। हालाँकि, भारत में, वैधानिक निषेधाज्ञाओं के अधीन, उक्त सिद्धांत आपराधिक न्यायशास्त्र का आधार बनता है। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए अपराध की प्रकृति, गंभीरता और साथ ही उसकी गंभीरता को भी ध्यान में रखा जा सकता है। न्यायालयों को यह देखने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि केवल परक्राम्य लिखतों की धारा 139 के तहत परिकल्पित अनुमान के आवेदन पर अधिनियम, उसी से अन्याय या गलत दोषसिद्धि नहीं हो सकती है ..." (जोर दिया गया) पैराग्राफ 45 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"45. हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि उक्त प्रावधान देश के बढ़ते व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधियों को विनियमित करने और वित्तीय मामलों में अधिक सतर्कता को बढ़ावा देने और चेक के लेखक में लेनदार के विश्वास की रक्षा करने के लिए सख्त दायित्व के लिए डाला गया है, जो भारत जैसे विकासशील देश के आर्थिक जीवन के लिए आवश्यक है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि अदालतें जमीनी हकीकत से आंखें मूंद लेंगी। क़ानून अनुमान लगाने का आदेश देता है लेकिन यह वहीं रुक जाता है। यह नहीं कहता कि कैसे निकाले गए अनुमान को खारिज कर दिया जाना चाहिए। कानूनी न्यायशास्त्र के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, अर्थात्, मानव अधिकारों के रूप में निर्दोषता का अनुमान और धारा 139 द्वारा पेश किए गए रिवर्स बर्डन के सिद्धांत को नाजुक ढंग से संतुलित किया जाना चाहिए। इस तरह के संतुलनकारी कार्य, निस्संदेह प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स, रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री और उसी को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों पर निर्भर होंगे।"

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निर्दोषता की धारणा मानव अधिकारों का हिस्सा है और इसलिए धारा 139 द्वारा पेश किए गए रिवर्स बर्डन के सिद्धांत को नाजुक ढंग से संतुलित किया जाना चाहिए।

पैरा-12:- अब वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर लौटते हुए, यह मानते हुए कि ऋण या देयता के अस्तित्व के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान का खंडन नहीं किया गया है, धारा 138 को आकर्षित करने के लिए, ऋण या देयता को "कानूनी रूप से वसूली योग्य" ऋण या देयता होना चाहिए। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कृष्णा भट (सुप्रा) के मामले में माना है, उक्त अधिनियम की धारा 139 के तहत कोई अनुमान नहीं है कि ऋण कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण है। गोवा प्लास्ट (पी) लिमिटेड बनाम चिको उर्सुला डिसूजा [(**2004)** 2 सुप्रीम कोर्ट के मामले 235] सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि धारा 138 के अधीन ऋण या देयता का अर्थ कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता है।

पैरा-13:- वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि आवेदक द्वारा कथित रूप से दी गई राशि पूरी तरह से नकद राशि थी और यह राशि "बेहिसाब" थी। उन्होंने न केवल यह स्वीकार किया कि प्रासंगिक समय पर आयकर रिटर्न में इसका खुलासा नहीं किया गया था, बल्कि वर्ष में साक्ष्य दर्ज होने तक आयकर रिटर्न में इसका खुलासा नहीं किया गया था। किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि बेहिसाब नकद राशि को चुकाने का दायित्व उक्त अधिनियम की धारा 138 के स्पष्टीकरण के अर्थ में कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व है। कथित ऋण को कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण नहीं कहा जा सकता है।

पैरा-15:- सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि उक्त अधिनियम से संबंधित कानूनों की व्याख्या सामान्य कानून से विचलन होने के बावजूद इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के प्रकाश में की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्त किया कि उक्त अधिनियम की धारा 138 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियाँ सुचारू और स्वस्थ तरीके से संचालित हों। उक्त अधिनियम की धारा 138 के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि धारा में उल्लिखित ऋण या अन्य देयता का अर्थ कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य देयता है। आयकर रिटर्न में स्पष्ट रूप से

प्रकट नहीं की गई बेहिसाब नकदी राशि को चुकाने का कथित दायित्व कानूनी रूप से वसूली योग्य देयता नहीं हो सकता है। यदि ऐसी देयता को कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण माना जाता है, तो यह उक्त अधिनियम की धारा 138 के स्पष्टीकरण को निरर्थक बना देगा। यह अधिनियम की धारा 138 के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा, जो यह सुनिश्चित करता है कि वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियाँ स्वस्थ तरीके से संचालित हों। धारा राशि का प्रावधान। "बेहिसाब" नकदी राशि को चुकाने के कथित दायित्व के निर्वहन में जारी किए गए बेहिसाब की वसूली के लिए चेक 138 का सहारा नहीं लिया जा सकता है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 138 के स्पष्टीकरण के अर्थ में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता के निर्वहन में जारी किया गया चेक नहीं कहा जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान का दुरुपयोग करने के ऐसे प्रयास को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।"

36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में रिपोर्ट किए गए जॉन के. अब्राहम बनाम साइमन सी. अब्राहम के मामले में (**1**) ईस्ट सीसी **366: (2014) 2** एससीसी **236,** पैरा 8, 9 और 12 में निम्नानुसार माना है:-

"पैरा 8:- उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, जब हम इस अपील में दिए गए फैसले की जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले को पलटने में गंभीर अवैधता की है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते समय, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने जो बात ध्यान में रखी वह यह थी कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पूछताछ में, यह अपीलकर्ता का मामला नहीं था कि उसके बेटे को एक खाली हस्ताक्षरित चेक सौंपा गया था उच्च न्यायालय इस तथ्य से भी सहमत था कि अपीलकर्ता प्रतिवादी द्वारा जारी वकील के नोटिस का कोई जवाब भेजने में विफल रहा। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है और अपीलकर्ता उक्त अनुमान का खंडन करने में विफल रहा। उस एकमात्र कारक पर,

उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने ट्रायल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया और अपीलकर्ता को दोषी ठहराया।

पैरा 9:- यह कहा जाना चाहिए कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के साथ धारा 118 के तहत अनुमान लगाने के लिए, यह दिखाने का भार शिकायतकर्ता पर था कि उसके पास अभियुक्त को पैसा अग्रिम देने के लिए आवश्यक निधि थी; कि उक्त अग्रिम भुगतान के समर्थन में चेक जारी करना सत्य था और अभियुक्त भुगतान करने के लिए बाध्य था

पैरा 10:- उक्त वैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जब हम प्रतिवादी शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों की जांच करते हैं, जैसा कि विद्वान ट्रायल जज ने सही निष्कर्ष निकाला है, प्रतिवादी को उस तारीख की भी जानकारी नहीं थी जब 1,50,000 रुपये की पर्याप्त राशि का भुगतान किया गया था। उन्होंने अपीलकर्ता के समक्ष यह दलील पेश की कि उन्हें नहीं पता कि चेक किसने लिखा है, उन्हें यह भी नहीं पता कि वास्तव में वह लेनदेन कब और कहां हुआ जिसके लिए अपीलकर्ता ने चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता के साक्ष्य में उक्त गंभीर कमी के अलावा, उन्होंने पी.डब्लू 1 के रूप में एक बार जिरह के दौरान यह कहते हुए स्वीकार किया कि चेक अभियुक्त के हाथ से लिखा गया था और अगले ही पल उन्होंने बिल्कुल विपरीत रुख अपनाते हुए कहा कि यह अभियुक्त के हाथ से लिखा नहीं है और इसे शिकायतकर्ता ने खुद लिखा है, उन्होंने आगे दोहराया कि शब्दों में लिखी गई राशि उनके द्वारा लिखी गई थी।

37. लेख राज शर्मा बनाम यशपाल गुप्ता के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2015 के निर्णय के तहत 2014 के आपराधिक एल.पी संख्या 567 में पारित निर्णय में यह माना गया है कि चेक राशि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण नहीं है,

"पैरा-21, 22 और 27 में निम्नानुसार है:- "पैरा-21:- यह निष्कर्ष कि, चूंकि प्रतिवादी को वितरित ऋण की राशि बैलेंस शीट और आई.टी.आर में नहीं दिखाई गई थी, इसलिए अपीलकर्ता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने उचित संदेह से

परे अपने मामले को साबित कर दिया है, भी गलत है। इस संबंध में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है: i) दिलीप आप्टे बनाम नीलेश पी. सालगांवकर एवं अन्य**, 2006 (6)** बॉमसीआर **653,** जिसमें न्यायालय ने टिप्पणी की:

"विद्वान जेएमएफसी ने शिकायतकर्ता के विरुद्ध यह तथ्य भी माना है कि शिकायतकर्ता ने अपने आयकर रिटर्न में अपने द्वारा दी गई अग्रिम राशि नहीं दिखाई थी। मुझे नहीं लगता कि हर व्यक्ति जो मित्रवत ऋण देता है, वह सभी मामलों में ऐसे ऋणों को अपने आयकर रिटर्न में दिखाता है, खासकर तब जब वे कम समय के बाद मांग पर देय हों। विद्वान बरी करने वाले जेएमएफसी ने शिकायतकर्ता के पक्ष में कानून द्वारा लागू की गई कई धारणाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया।" (जोर दिया गया)

ii) श्री कृष्ण पी. मोराजकर बनाम श्री जो फेराओ**, 2013** सीआरआईजे (एनओसी) **572** बॉम्बे (19.07.2013 को निर्णय), जिसमें न्यायालय ने टिप्पणी की:

"रेखांकित टिप्पणियां यह नहीं बताती हैं कि कोई व्यक्ति कहां जा सकता है। आयकर रिटर्न में खुलासा न की गई राशियों को वसूलने पर प्रतिबंध है। अत्यंत विनम्रता के साथ, मुझे यह कहना है कि मुझे आयकर अधिनियम का कोई ऐसा प्रावधान नहीं मिला है, जो आयकर रिटर्न में नहीं दिखाई गई राशि को वसूल न किया जा सके। आयकर अधिनियम की पूरी योजना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी राशियों का हिसाब हो। यदि कुछ राशियों का हिसाब नहीं है, तो व्यक्ति पर आयकर अधिनियम के तहत जुर्माना या कभी-कभी मुकदमा भी चलाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उधारकर्ता उस राशि का भुगतान करने से इनकार कर सकता है जो उसने उधार लिया है, सिर्फ इसलिए कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों का कुछ उल्लंघन है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन राजस्व और चूककर्ता के बीच का मामला होगा और इसका लाभ उधारकर्ता द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। मेरे विनम्र विचार में, यह कहना कि आयकर रिटर्न में खुलासा न की गई राशि वसूल नहीं की जा सकती इस अधिनियम के उद्देश्य के अलावा, जिसे श्री दिलीप आप्टे (सुप्रा) और संजय मिश्रा (सुप्रा) में

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रेखांकित किया गया है, यह देखा जाना चाहिए कि जिस समय कोई व्यक्ति चेक के माध्यम से नकद में दी गई राशि वसूल करना चाहता है, वह सिस्टम में दर्ज हो जाती है और राजस्व अधिकारी उस पर नज़र रख सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो उस व्यक्ति पर कर लगा सकते हैं। आयकर अधिनियम में नहीं दिखाई गई राशि को बेहिसाब धन कहना बहुत दूर की बात होगी और इसलिए, मैं संजय मिश्रा (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों से सम्मानपूर्वक असहमत हूँ, जो वास्तव में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 में एक अतिरिक्त आवश्यकता को पढ़ने और इस तरह की राशि को अप्राप्य बनाने के लिए कानून बनाने के बराबर है। दोहराव की कीमत पर, यह कहने के लिए कि आयकर रिटर्न में प्रकट नहीं की गई राशि कानूनी रूप से वसूली योग्य देयता नहीं हो सकती है, उस प्रभाव के लिए कानून के कुछ प्रावधान दिखाने होंगे। ऐसा प्रावधान मेरे द्वारा नहीं देखा गया और प्रतिवादी के विद्वान वकील भी कोई प्रावधान नहीं दिखा सके। मुझे ऐसा प्रावधान नहीं मिला।" (जोर दिया गया)

पैरा-22:- इसी तरह, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया ऋण आरोपी-प्रतिवादी के व्यवसाय के लिए एक दोस्ताना ऋण था, इस पृष्ठभूमि में कि वे लगभग 40 वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे। यह कम समय में भुगतान योग्य था। इस प्रकार, मुझे प्रतिवादी के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं दिखती कि चूंकि आरोपी-प्रतिवादी का नाम बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया है, या आईटीआर में राशि का खुलासा नहीं किया गया है, इसलिए यह स्थापित हो जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा ऋण वितरित नहीं किया गया था।

पैरा-27:- आरोपी को एक संभावित बचाव स्थापित करने के लिए बाध्य किया जाता है। बचाव केवल एक "संभावित" बचाव नहीं हो सकता। यह केवल आरोपी की स्वयं की गवाही पर आधारित नहीं हो सकता। रिकॉर्ड पर कुछ विश्वसनीय सामग्री या परिस्थिति उपलब्ध होनी चाहिए जो न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करे कि अपमानित चेक जारी करने के लिए बचाव/स्पष्टीकरण एक संभावित है। कारणों के लिए उपर्युक्त, मेरे विचार में, विद्वान एमएम द्वारा तथ्यों के आधार

पर निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत हैं, और यह कानून के गलत दृष्टिकोण पर भी आधारित है।"

38. (***बसलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा*** (2019) 5 एससीसी 418 में रिपोर्ट किया गया के मामले में पैराग्राफ संख्या 13, 14, 16, 17, 22, 25, 25.05, 28 और 29 में निम्नानुसार माना गया है:-

"**पैरा-13:**- भारत बैरल एंड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम अमीन चंद *प्यारेलाल* [भारत बैरल एंड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम अमीन चंद *प्यारेलाल* (1999) 3 एससीसी 35] में इस न्यायालय को अधिनियम की धारा 118(ए) पर विचार करने का अवसर मिला था। इस न्यायालय ने माना कि एक बार वचन पत्र के निष्पादन को स्वीकार कर लिया जाता है, तो धारा 118(ए) के तहत अनुमान लगेगा कि यह एक विचार द्वारा समर्थित है। ऐसा अनुमान खंडन योग्य है और प्रतिवादी एक संभावित बचाव उठाकर विचार की गैरमौजूदगी को साबित कर सकता है। पैरा 12 में, निम्नलिखित निर्धारित किया गया है: (एससीसी पृष्ठ 50-51)

"12. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभिन्न निर्णयों पर विचार करने पर, कानून की स्थिति जो उभरती है वह यह है कि एक बार वचन पत्र के निष्पादन को स्वीकार कर लिया जाता है, तो धारा 118 (ए) के तहत यह अनुमान लगाया जाएगा कि यह एक विचार द्वारा समर्थित है। इस तरह की धारणा खंडनीय है। प्रतिवादी संभावित बचाव को बढ़ाकर विचार की गैरमौजूदगी को साबित कर सकता है। यदि प्रतिवादी ने यह साबित करने का प्रारंभिक दायित्व पूरा कर लिया है कि विचार का अस्तित्व असंभव या संदिग्ध था या वही था अवैध होने पर, दायित्व वादी पर आ जाएगा, जो इसे तथ्य के रूप में साबित करने के लिए बाध्य होगा और साबित करने में विफल होने पर उसे परक्राम्य लिखत के आधार पर राहत देने से वंचित कर दिया जाएगा। प्रतिवादी पर प्रतिफल की गैर-मौजूदगी को साबित करने का भार या तो प्रत्यक्ष हो सकता है या उन परिस्थितियों के संदर्भ में संभावनाओं की अधिकता को रिकॉर्ड पर लाकर जिस पर वह निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में, वादी कानून के तहत मामले में पेश किए गए सभी साक्ष्यों पर भरोसा करने का हकदार है, जिसमें वादी के साक्ष्य भी शामिल हैं। ऐसे मामले में, जहां

प्रतिवादी प्रतिफल की गैर-मौजूदगी को दिखाकर सबूत के शुरुआती दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, वादी को हमेशा उसके पक्ष में धारा 118 (ए) के तहत उत्पन्न होने वाली धारणा के लाभ के लिए हकदार माना जाएगा। न्यायालय प्रतिवादी पर सीधे साक्ष्य पेश करके प्रतिफल के अस्तित्व को अस्वीकृत करने का आग्रह नहीं कर सकता क्योंकि नकारात्मक साक्ष्य का अस्तित्व न तो संभव है और न ही इसकी परिकल्पना की गई है और यदि पेश भी किया जाता है, तो उसे संदेह के साथ देखा जाना चाहिए। प्रतिफल के पारित होने से इनकार करना स्पष्ट रूप से किसी बचाव का आधार नहीं लगता। वादी को साबित करने का भार स्थानांतरित करने का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा रिकॉर्ड पर लाना होगा जो संभावित हो। अनुमान को गलत साबित करने के लिए, प्रतिवादी को ऐसे तथ्य और परिस्थितियाँ रिकॉर्ड पर लानी होंगी, जिन पर विचार करने के बाद अदालत या तो यह मान सकती है कि प्रतिफल मौजूद नहीं था या उसका गैर-अस्तित्व इतना संभावित था कि मामले की परिस्थितियों के तहत एक विवेकशील व्यक्ति इस दलील पर काम करेगा कि वह मौजूद नहीं था।"

पैरा-14:- *एमएस नारायण मेनन बनाम केरल राज्य* [एमएस नारायण मेनन बनाम केरल राज्य, (2006) 6 एससीसी 39: (2006) 3 एससीसी (क्रि) 30] में जस्टिस एसबी सिन्हा ने अधिनियम, 1881 की धारा 118(ए), 138 और 139 पर विचार किया था। यह माना गया कि धारा 118(ए) और 139 दोनों के तहत अनुमान प्रकृति में खंडनीय हैं। पहले के फैसले का हवाला देते हुए "अनुमान लगा सकते हैं" और "अनुमान लगाएंगे" शब्दों की व्याख्या करते हुए, पैरा 28 में निम्नलिखित माना गया: (एससीसी पृष्ठ 49)

"**28.** "मान सकता है", "मानेगा" और "निर्णायक सबूत" अभिव्यक्तियों का क्या प्रभाव होगा, इस पर इस न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रमोद गुप्ता [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रमोद गुप्ता, (2005) 12 एससीसी 1] में निम्नलिखित शब्दों में विचार किया है: (एससीसी पृ. 30-31, पैरा 52)

"**52.** ... यह सच है कि विधानमंडल ने पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 42 में दो अलग-अलग वाक्यांशों "अनुमान लगाया जाएगा" और "अनुमान लगाया

जा सकता है" का इस्तेमाल किया और इसके अलावा, हालांकि सरकार में निहित माने जाने वाले खानों और खनिजों के अधिकार के संबंध में इस तरह के अनुमान का खंडन करने के तरीके और तरीके के लिए प्रावधान किया गया है, जबकि भूमि मालिकों द्वारा रखी जाने वाली भूमि के संबंध में इसके अभाव के बारे में भी प्रावधान किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि "अनुमान लगाया जाएगा" शब्द निर्णायक होंगे। "अनुमान लगाया जा सकता है" और "अनुमान लगाया जाएगा" शब्दों के अर्थ को साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 4 में स्पष्ट किया गया है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि जब भी यह निर्देश दिया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य का अनुमान लगाएगा तो वह ऐसे तथ्य को तब तक सिद्ध मानेगा जब तक कि उसे अस्वीकृत न कर दिया जाए। इस प्रकार, उक्त प्रावधान के अनुसार, "अनुमान लगाया जाएगा" शब्द को "निर्णायक प्रमाण" के समानार्थी नहीं माना जा सकता है।"

पैरा-16:- इस न्यायालय ने एमएस नारायण मेनन मामले में [एमएस नारायण मेनन बनाम केरल राज्य, (2006) 6 एससीसी 39: (2006) 3 एससीसी (क्रि) 30] माना कि जो आवश्यक है वह एक संभावित बचाव को उठाना है, जिसके लिए अभियुक्त के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य के माध्यम से विचार के अस्तित्व को अस्वीकार करना आवश्यक नहीं है और यहां तक कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर भी भरोसा किया जा सकता है। सबूत के मानक से निपटते हुए, पैरा 32 में निम्नलिखित देखा गया: (एससीसी पृष्ठ 51)

> "32. सबूत का मानक स्पष्ट रूप से संभावनाओं की प्रधानता है। संभावनाओं की प्रधानता का अनुमान न केवल रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ में भी लगाया जा सकता है जिन पर वह भरोसा करता है।"

पैरा-17:- कृष्ण जनार्दन भट बनाम दत्तात्रेय जी हेगड़े [कृष्ण जनार्दन भट बनाम दत्तात्रेय जी हेगड़े, (2008) 4 एससीसी 54: (2008) 2 एससीसी (क्रि) 166] में, इस न्यायालय ने माना कि किसी अभियुक्त को किसी क़ानून के तहत उस पर लगाए गए सबूत के बोझ का निर्वहन करने के लिए खुद की जांच करने की

आवश्यकता नहीं है। वह पहले से ही रिकॉर्ड में लाए गए सामग्रियों के आधार पर अपने बोझ का निर्वहन कर सकता है। निम्नलिखित को पैरा 32 में रखा गया था: (एससीसी पृष्ठ 62)

> "**32**. किसी अभियुक्त को किसी क़ानून के तहत उस पर लगाए गए सबूत के बोझ का निर्वहन करने के लिए खुद की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। वह पहले से ही रिकॉर्ड में लाए गए सामग्रियों के आधार पर अपने बोझ का निर्वहन कर सकता है। एक अभियुक्त के पास चुप रहने का संवैधानिक अधिकार है। एक आपराधिक मामले में एक अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के सबूत का मानक अलग-अलग होता है।"

पैरा-22:- आगे विस्तार से बताते हुए, इस न्यायालय ने रंगप्पा मामले में [रंगप्पा बनाम श्री मोहन, (2010) 11 एससीसी 441: (2010) 4 एससीसी (सिविल) 477: (2011) 1 एससीसी (क्रि) 184] माना कि अधिनियम की धारा 139 रिवर्स ओनस का एक उदाहरण है और आनुपातिकता के परीक्षण को प्रतिवादी-अभियुक्त पर रिवर्स ओनस खंडों के निर्माण और व्याख्या का मार्गदर्शन करना चाहिए और प्रतिवादी-अभियुक्त से सबूत के अत्यधिक उच्च मानक का निर्वहन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पैरा 27 और 28 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया था: (रंगप्पा मामला [रंगप्पा बनाम श्री मोहन, (2010) 11 एससीसी 441: (2010) 4 एससीसी (सिविल) 477: (2011) 1 एससीसी (क्रि) 184], एससीसी पृ. 453-54)

> "27. अधिनियम की धारा 139 एक रिवर्स ओनस क्लॉज का उदाहरण है जिसे परक्राम्य लिखतों की विश्वसनीयता में सुधार के विधायी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए शामिल किया गया है। जबकि अधिनियम की धारा 138 चेक के अनादर के संबंध में एक मजबूत आपराधिक उपाय निर्दिष्ट करती है, धारा 139 के तहत खंडनीय अनुमान मुकदमेबाजी के दौरान अनुचित देरी को रोकने के लिए एक उपकरण है। हालांकि, यह याद रखना चाहिए कि धारा 138 द्वारा दंडनीय अपराध को एक विनियामक अपराध के रूप में बेहतर ढंग से वर्णित किया जा सकता है क्योंकि चेक का बाउंस होना काफी हद तक एक सिविल गलत की प्रकृति का है जिसका प्रभाव आमतौर पर वाणिज्यिक

लेनदेन में शामिल निजी पक्षों तक ही सीमित होता है। ऐसे परिदृश्य में, आनुपातिकता के परीक्षण को रिवर्स ओनस क्लॉज के निर्माण और व्याख्या का मार्गदर्शन करना चाहिए और प्रतिवादी-अभियुक्त से सबूत के अनुचित रूप से उच्च मानक का निर्वहन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

28. सम्मोहक औचित्य के अभाव में, रिवर्स ओनस क्लॉज आमतौर पर एक साक्ष्य भार लगाते हैं, न कि एक प्रेरक भार। इसे ध्यान में रखते हुए, यह एक स्थापित स्थिति है कि जब किसी अभियुक्त को धारा 139 के तहत अनुमान का खंडन करना होता है, तो ऐसा करने के लिए सबूत का मानक "संभावनाओं की अधिकता" है। इसलिए, यदि अभियुक्त एक संभावित बचाव प्रस्तुत करने में सक्षम है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा करता है, तो अभियोजन पक्ष विफल हो सकता है। जैसा कि उद्धरणों में स्पष्ट किया गया है, अभियुक्त इस तरह के बचाव को बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भरोसा कर सकता है और यह कल्पना की जा सकती है कि कुछ मामलों में अभियुक्त को अपने स्वयं के साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

पैरा-25:- हमने उपरोक्त मामलों में धारा 118(ए) और 139 पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए, अब हम इस न्यायालय द्वारा उल्लिखित सिद्धांतों को निम्नलिखित तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:

पैरा-25.5:- अभियुक्त के लिए अपने बचाव के लिए गवाह के कठघरे में आना ज़रूरी नहीं है। पैरा-28:- मामले का एक और पहलू है जिस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत में और मुख्य परीक्षा में शिकायतकर्ता ने यह नहीं बताया है कि अभियुक्त को 6 लाख रुपए का लोन किस तारीख को दिया गया था। जिरह के दौरान उसने नवंबर 2011 की तारीख बताई थी। धारा 118 (बी) के तहत, तारीख के हिसाब से यह अनुमान लगाया जाएगा कि हर परक्राम्य लिखत उसी तारीख को बनाया या निकाला गया था। बेशक, चेक पर 27-2-2012 की तारीख है, शिकायतकर्ता ने यह भी नहीं बताया कि नवंबर 2011 में उसे 27-2-2012 की तारीख वाला पोस्ट-डेटेड चेक दिया गया था। 27-2-2012

को चेक देना, जो 1-3-2012 को जमा किया गया था, शिकायतकर्ता के मामले के अनुरूप नहीं है जब हम शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत को पढ़ते हैं विशेष रूप से शिकायत के पैरा 1 को, जो नीचे दिए अनुसार उद्धृत है:

> "1. अभियुक्त शिकायतकर्ता का बहुत अच्छा मित्र है। अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से 6,00,000 रुपये (छह लाख रुपये) की तत्काल और पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण मांगा और लंबे समय से चली आ रही मित्रता और अभियुक्त द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को जानने के कारण शिकायतकर्ता ने अभियुक्त की वित्तीय कठिनाइयों को पूरा करने के लिए ऋण देने पर सहमति व्यक्त की और तदनुसार शिकायतकर्ता ने 27-2-2012 को शिकायतकर्ता के पक्ष में 6,00,000 रुपये (छह लाख रुपये) का ऋण यह कहते हुए दिया कि इसे प्रस्तुत करने पर इसे सम्मानित किया जाएगा। लेकिन शिकायतकर्ता को आश्चर्य हुआ जब उसने चेक को बैंक के माध्यम से वसूली के लिए प्रस्तुत किया तो बैंक ने 1-3-2012 को "धन अपर्याप्त" लिखकर चेक वापस कर दिया।"

पैरा-29:- इस प्रकार, शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में और उसके मुख्य परीक्षण में एक तरफ़ से ऋण दिए जाने की तिथि के बारे में जो कहा गया था और दूसरी तरफ़ से जिरह में जो कहा गया था, उसमें विरोधाभास है, जिसे संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय इस तथ्य से अनुचित रूप से प्रभावित था कि अभियुक्त ने चेक के निष्पादन या कानूनी दायित्व से इनकार करने वाले नोटिस का जवाब नहीं दिया। निचली अदालत के समक्ष भी अपीलकर्ता-अभियुक्त ने चेक पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया है।"

39. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 48 के पैरा संख्या 26, 27, 28, 29, 30, 39 और 41 में रिपोर्ट किए गए राजाराम थ्रू एल.आर. बनाम मरुथाचलम (अब मृत) थ्रू एल.आर. के मामले में निम्नानुसार माना है:-

> "पैरा 26:- इस न्यायालय ने बासलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा (सुप्रा) के मामले में एनआई अधिनियम की धारा 118(ए) और 139 के सिद्धांतों का सारांश दिया है।

इसे पुन: प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा। पैरा 27:- इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने माना है कि एक बार चेक के निष्पादन को स्वीकार कर लिया गया तो एन.आई अधिनियम की धारा 139 यह अनुमान लगाती है कि चेक किसी ऋण या अन्य देयता के निर्वहन के लिए था। हालांकि यह माना गया है कि धारा 139 के तहत अनुमान एक खंडनीय अनुमान है और संभावित बचाव को प्रस्तुत करने का दायित्व अभियुक्त पर है। अनुमान को अस्वीकार करने के लिए सबूत का मानक संभावनाओं की अधिकता है। यह भी माना गया है कि अनुमान को अस्वीकार करने के लिए, अभियुक्त के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर भरोसा करना खुला है या अभियुक्त संभावित बचाव को प्रस्तुत करने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भी भरोसा कर सकता है। यह माना गया है कि संभावनाओं की अधिकता का अनुमान न केवल पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्रियों से निकाला जा सकता है, बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ में भी निकाला जा सकता है जिन पर वे भरोसा करते हैं।

पैरा 28:- उक्त मामले में, अर्थात बासलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा (सुप्रा), विद्वान ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और सामग्री पर विचार करने के बाद माना कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता के बारे में संभावित बचाव प्रस्तुत किया था। इसलिए, अभियुक्त को बरी कर दिया गया। इससे व्यथित होकर, शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने इसे पलट दिया और आरोपी को दोषी ठहराया। इस न्यायालय ने पाया कि जब तक उच्च न्यायालय किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, यह पाते हुए कि शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता के बारे में विद्वान ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष विकृत था, उच्च न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। पैरा 29:- वर्तमान मामले में, आरोपी अपीलकर्ता ने श्री सरसाईं, आयकर अधिकारी, वार्ड क्रमांक 18, सर्कल (II)(5) से जांच की थी, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1995-1996, 1996-1997, 1997- 1998 और 1998-1999 के लिए शिकायतकर्ता के आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रतियां पेश की थीं। आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रतियों से यह स्थापित हुआ कि शिकायतकर्ता ने यह घोषित नहीं किया था कि उसने आरोपी को 3 लाख रुपये उधार दिए थे। इसने आगे स्थापित किया कि कृषि आय भी आयकर रिटर्न में घोषित नहीं की गई थी।

पैरा 30:- विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आगे पाया कि आयकर रिटर्न में जो आय दिखाई गई थी, जिसे विधिवत प्रदर्शित किया गया था, उससे यह स्पष्ट था कि शिकायतकर्ता(ओं) के पास कथित रूप से पैसे उधार देने की वित्तीय क्षमता नहीं थी। पैरा 39:- वर्तमान मामले में, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया बचाव "संभावना की प्रबलता" के मानक को पूरा करता है।

पैरा 41:- मामले के उस दृष्टिकोण से, हमारा यह भी विचार है कि अपीलकर्ता को बरी करने के आदेश को पलटने में उच्च न्यायालय का कोई औचित्य नहीं था।

40. राजाराम पुत्र श्रीरामुलु नायडू (अब मृत) एल.आर.एस. के माध्यम से बनाम मारुथाचलम (अब मृत) एल.आर.एस. के माध्यम से मामले में, 2023 लाइव लॉ (एससी) 46 के पैरा-20 में इस प्रकार माना गया है:-

"पैरा-20:- इन सभी सबूतों का विश्लेषण करने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता के आयकर रिटर्न से यह पता नहीं चला कि उसने आरोपी को राशि उधार दी थी, और घोषित आय 3 लाख रुपये का ऋण देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए, शिकायतकर्ता का यह मामला कि उसने अपनी कृषि आय से आरोपी को ऋण दिया था, न्यायालय द्वारा अविश्वसनीय पाया गया।विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पाया कि यह अत्यधिक संदिग्ध था कि क्या शिकायतकर्ता ने अभियुक्त को 3 लाख रुपये की राशि उधार दी थी। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता 25 अक्टूबर 1998 को अभियुक्त द्वारा निष्पादित किए गए कथित वचन पत्र को पेश करने में विफल रहा था। बचाव पक्ष के गवाहों और उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पाया कि बचाव एक संभावित बचाव था और इस तरह, अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार था। अनुमान का खंडन करने के लिए सबूत का मानक संभावनाओं की अधिकता है। इस सिद्धांत को लागू करते हुए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि अभियुक्त ने बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य और उपस्थित परिस्थितियों के आधार पर अनुमान का खंडन किया था।"

41. यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर माना गया है कि किसी भी गवाह की अनुपस्थिति में अभियुक्त याचिकाकर्ता को कोई विशिष्ट तिथि या तारीखें दिए बिना मैत्रीपूर्ण ऋण का भुगतान संदिग्ध लेनदेन को जन्म देता है।

42. इस न्यायालय की खंडपीठ ने सोमनाथ विश्वास, पुत्र आरएस विश्वास बनाम झारखंड राज्य के मामले में 2018 (3) जेसीआर 185, पैराग्राफ संख्या 6 में निम्नानुसार माना है:-

> "पैरा 6:- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अपीलीय अदालत द्वारा बरी किए जाने के आक्षेपित फैसले के साथ-साथ विद्वान ट्रायल कोर्ट के फैसले का भी अवलोकन किया है। विद्वान अपीलीय अदालत इस तथ्य से निर्देशित हुई है कि बैंक द्वारा किए गए समर्थन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि चेक वैध नहीं था। चेक वैध क्यों नहीं था या वैध क्यों नहीं था, यह शिकायतकर्ता को अपने साक्ष्य और/या बैंकर की जांच के माध्यम से दिखाना था, जो वह करने में विफल रहा। शिकायतकर्ता स्पष्ट रूप से मैत्रीपूर्ण ऋण की तारीख और समय या आरोपी को दिए गए ऐसे मैत्रीपूर्ण ऋण के किसी दस्तावेजी सबूत को बताने में भी विफल रहा।

43. सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि केवल अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर करके खाली चेक जारी करना चेक धारक अर्थात् शिकायतकर्ता के पक्ष में नहीं जाएगा।

44. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने एनआई अधिनियम की धारा 139 के प्रकाश में अनुमान का खंडन किया था।

45. इसलिए, यह न्यायालय पाता है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचते समय कोई अवैधता नहीं की गई है कि याचिकाकर्ता के पास विपरीत पक्ष संख्या 2 को ऋण राशि का भुगतान करने की कोई वित्तीय क्षमता नहीं थी और इस प्रकार, यह आपराधिक पुनरीक्षण योग्यता से रहित है और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश- II,

जमशेदपुर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 178/2019 में पारित दिनांक 26.03.2021 के निर्णय को बरकरार रखा जाता है।

46. इस प्रकार, यह आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 482/2021 को **खारिज किया जाता है।**

(संजय प्रसाद, जे.)

कमलेश/एएफआर

अनुवादक: एडवोकेट मधु कुमारी